भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या– 723

दिनांक 05.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाबहार पत्तन में भारत का निवेश

723. श्री मल्लिकार्जुन खरगे

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान ईरान में चाबहार पत्तन परियोजना के विकास और संचालन पर भारत द्वारा प्रतिबद्ध और खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मौजूदा छूटों या रियायतों की स्थिति और अवधि सहित चाबहार परियोजना में भारत की निरंतर भागीदारी पर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों या प्रशुल्क नीतियों में हाल ही में हुए परिवर्तनों के प्रभावों का आकलन किया है;

(ग) क्या विगत दो वर्षों के दौरान चाबहार पत्तन परियोजना में भारत की भागीदारी के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य संबंधित भागीदारों के साथ कोई राजनयिक बातचीत हुई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना में भारत की भागीदारी जारी रखने के लिए विचाराधीन आकस्मिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क से घ) चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल को सुसज्जित और संचालित करने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और इस्लामी गणराज्य ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच 13 मई 2024 को हस्ताक्षरित मुख्य संविदा के अनुसार, भारत ने बंदरगाह उपकरणों की खरीद के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अंशदान देने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी कर ली है। अंतिम किश्त 26 अगस्त 2025 को अंतरित की गई थी।

16 सितंबर 2025 को, अमेरिकी विदेश विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट 2012 के तहत 2018 में जारी की गई प्रतिबंध छूट को 29 सितंबर 2025 से प्रभावी रद्द कर दिया। अमेरिकी पक्ष के साथ हुई चर्चाओं के बाद, अमेरिकी पक्ष ने सशर्त प्रतिबंध छूट को 26 अप्रैल 2026 तक बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। भारत सरकार इन घटनाक्रमों के प्रभावों का समाधान करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रही है।
